

दिनांक 14.03.18

वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। वकील प्रार्थी को समय-समय पर कई बार आवाजे दिलवायी गई न तो प्रार्थी उप. हुये न ही उनके वकील उप0 आये। प्रार्थी/वकील प्रार्थी को उपस्थित न आना उनके द्वारा प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हे। पत्रावली फैसल शुमार की जावें।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर